

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 504/2025
वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

संजय कुमार पुत्र सतपाल जाति बिश्नोई निवासी राजावाली तहसील अबोहर जिला
फाजिल्का (पंजाब)

-वादी

बनाम

1. द्रोपती पत्नी सतपाल जाति बिश्नोई निवासी हाउस नं. 186, राजावाली तहसील
अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
सुमन पत्नी रविन्द्र कुमार पुत्र सतपाल जाति बिश्नोई निवासी सरकारी स्कूल के
पश्चिमी तरफ गांव चबरवाल तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरि.)
3. खुशबू पुत्री रविन्द्र कुमार पुत्र सतपाल जाति बिश्नोई निवासी हाउस नं. 85 गांव
चबरवाल शेखापुर दरोली जिला हिसार (हरि.)
4. नशील कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार पुत्र सतपाल जाति बिश्नोई निवासी हाउस नं. 85
गांव चबरवाल शेखापुर दरोली जिला हिसार (हरि.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 9.12.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बन्दुश बिश्नोई अभिभाषक वादी व श्री परविन्द्र सिंह
अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक
जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को
आदेशित किया जाता है कि वादी को प्रतिवादी सं. 1 द्रोपती के नाम से चक 15
पीटीपी के खाता सं. 69/57 में ज.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से
स्थायी में 5/72 हि. अर्थात् 0.245 है. चक 13 पीटीपी के खाता सं. 78/69 में ज.सं.
2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी में 5/72 हि. अर्थात् 0.052 है.,
प्रतिवादी सं. 2 सुमन पत्नी रविन्द्र कुमार के नाम से चक 15 पीटीपी के खाता सं.
69/57 ज.सं. 2073-76 में 1/72 हि. अर्थात् 0.049 है. व चक 13 पीटीपी के खाता
सं. 78/69 में ज.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी में 1/72 हि.
अर्थात् 0.010 है., प्रतिवादी सं. 3 खुशबू के नाम से चक 15 पीटीपी के खाता सं.
69/57 ज.सं. 2073-76 में 1/72 हि. अर्थात् 0.049 है. व चक 13 पीटीपी के खाता
सं. 78/69 में ज.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी में 1/72 हि.
अर्थात् 0.010 है. तथा प्रतिवादी सं. 4 नशील कुमार के नाम से चक 15 पीटीपी के
खाता सं. 69/57 ज.सं. 2073-76 में 1/72 हि. अर्थात् 0.049 है. व चक 13 पीटीपी
के खाता सं. 78/69 में ज.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी में
1/72 हि. अर्थात् 0.010 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर

14
महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.12.2023 को जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

